प्रयागराज **आज** सोमवार १९ अक्तूबर, २०२६, सौर १ कार्तिक, सं. २०८३ वि.

सुभाषित *विद्वानों एवं बुद्धिमानोंसे परामर्श ही विजयका आधार होता हैं।* ❐ *पंचतन्त्र*

अस्थायी राहत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पने बहुत ही सोच समझकर विदेश मंत्री मार्को रूबियोकी भारत यात्रासे ठीक पहले रूस से तेल खरीदने वाले देशोंपर सौ प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगानेकी घोषणा को फिलहाल टाल दिया है। इससे भारतको अवश्य राहत मिली है लेकिन इसे अस्थायी राहत ही समझना ज्यादे उपयुक्त होगा। ट्रम्प की इस घोषणाको व्यापक सन्दर्भोंमें देखने और समझनेकी जरूरत है। इसमें सावधानी भी बरतनेकी आवश्यकता है। इस फैसलेका जितना आर्थिक महत्व है, उतना ही कूटनीतिक और रणनीतिक महत्व भी है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि यह भारतको स्थायी रूपसे १०० प्रतिशत टैरिफ से मुक्त करने वाला फैसला नहीं है। ट्रम्पने सम्बन्धित कानूनके तहत शुल्क और प्रतिबंधोंको फिलहाल टाला है। अर्थात भविष्यमें परिस्थितियां बदलनेपर इन्हें पुनः लागू करनेका विकल्प अमेरिकी राष्ट्रपतिके पास बना हुआ है। इसे अस्थायी राहत माननेके पीछे कारण हैं। लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एण्ड ईरान ऐक्टके तहत रूस से बड़े पैमानेपर ऊर्जा खरीदने वाले देशोंपर १०० प्रतिशत तक टैरिफ लगानेका अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिको मिला है। भारत और चीन इसके प्रमुख निशाने पर थे। ट्रम्पने इस प्रावधानको लागू करनेसे फिलहाल रोक लगा दी है। इसलिए इस कदमको स्थगन कहना अधिक उचित होगा, न कि स्थायी समाप्ति। भारतके लिए इसका सीधा अर्थ है कि सौ प्रतिशत टैरिफका खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। रूबियोकी भारत यात्रासे पहले ट्रम्पका फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूबियो १७ से २२ अक्तूबर तक भारत यात्रामें मुम्बई और जामनगर उनके महत्वपूर्ण पड़ाव है तथा ऊर्जा सहयोग और भारत अमेरिकी सम्बन्धोंपर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी होंगी। ऐसेमें टैरिफ खतरेको रोकनेसे बातचीतका वातावरण कुछ बेहतर बनेगा। भारत और अमेरिकाके बीच व्यापार समझौतेपर लम्बे समयसे बातचीत चल रही है। इसे गति देनेकी दिशामें ट्रम्पकी घोषणा काफी सहायक साबित हो सकती है। भारतको सौ प्रतिशत टैरिफ रोकनेसे लाभ अवश्य मिलेगा। फिलहाल बड़ा जोखिम टल गया है। ऊर्जा सुरक्षाके साथ ही रुपये और व्यापार दबावमें कमी भी आयेगी। भारतको पूरी तरह से निश्चिंत नहीं होना चाहिए क्योंकि टैरिफका खतरा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। भारतको आगेके लिए प्रभावी रणनीति बनानी होगी। इस दृष्टिसे भारतको राहत, अवसर और सावधानी तीनोंपर ध्यान देना होगा। भारतकी कूटनीतिकी अगली परीक्षा भविष्यमें होगी।

प्रशासनिक विफलता

यह अत्यन्त दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है कि शारदीय नौरात्रिकी अष्टमीकी पूर्व संध्यापर पश्चिम बंगालके एक सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडालमें मची भगदड़में १९ श्रद्धालुओंकी जान चली गयी। कोलकाताके चोरबागान दुर्गा पूजा पंडालमें शनिवारको भगदड़ मचने से १९ लोगोंकी मौत हो गयी और २५ लोग घायल हो गये। इनमें एक की हालत गम्भीर बतायी जा रही है। मृतकोंमें चार पुरुष, १३ महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। घायलोंको एसएसकेएम अस्पताल रेफर किया गया है। इस हादसेके सन्दर्भमें पुलिसने आयोजक समेत १४ लोगोंको हिरासतमें लिया है। यह हादसा व्यवस्थामें चूक और जिला प्रशासनकी विफलताका परिणाम है। हादसेके दौरान पंडालमें अंधेरा था, बाहर निकलनेके रास्ते सकरे थे और बारिशके कारण भीड़ और भी बढ़ गयी थी। सप्तमीपर मां के दर्शनके लिए पहले से ही बड़ी संख्यामें श्रद्धालु पहुंचे थे। बारिशसे बचनेके लिए लोग पंडालके अन्दर जमा होने लगे। भीड़का दबाव बढ़नेसे बाहर निकलनेके दरवाजेका एक हिस्सा टूट गया और सुरक्षाकर्मी ने लोगोंसे पंडालसे बाहर निकलनेका अनाउंस कर दिया जिससे भगदड़ मच गयी। लोग एक दूसरेपर गिरते-पड़ते निकलने लगे जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। खास बात यह है कि इस दर्दनाक हादसेके दो दिन पहले ही इस पंडालको पश्चिम बंगाल सरकारने 'देवी दुर्गा सम्मान २०२६' से सम्मानित किया था। इसे 'बेस्ट आफ बेस्ट' कैटेगरीमें चुना गया था। हादसेके बाद पूजा अनिश्चित कालके लिए रोक दी गयी। इस घटनापर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक संतप्त परिजनोंके प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है। प्रधान मंत्री ने मृतकोंके स्वजनको दो-दो लाख रुपये और घायलोंको ५०-५० हजार रुपये देनेकी घोषणा की है। वहीं मुख्य मंत्री शुभेन्दु अधिकारीने बंगाल सरकार की ओर से जान गंवाने वाले प्रत्येक के स्वजन को २५-२५ लाख रुपये और परिवारके एक व्यक्तिको नौकरी देनेका ऐलान किया है। इस दौरान हादसेको लेकर राजनीति भी शुरू हो गयी है जो उचित नहीं है। हर मामलेको राजनीतिके चश्मेसे नहीं देखा जा सकता है।

लोक संवाद

रातमें धरतीपर आयेगी सूर्यकी रोशनी

महोदय,-कल्पना कीजिए कि रातके घने अंधेरेमें भी धरतीके किसी खास हिस्सेपर सूरजकी रोशनी पहुंचायी जा सके। अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल इसी विचारको हकीकतमें बदलनेकी तैयारी कर रही है। कंपनी अंतरिक्षमें विशाल दर्पणोंसे लैस उपग्रह स्थापित कर मांगके अनुसार धरतीपर रोशनी पहुंचाना चाहती है। इसके लिए उसने भारतकी निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेसके साथ समझौता किया है। समझौतेके तहत कंपनीके दो उपग्रह स्काईरूटके प्रक्षेपण यानोंके जरिये अंतरिक्षमें भेजे जायंगे। पहला उपग्रह विक्रम-१ रॉकेटसे और दूसरा निर्माणाधीन विक्रम-१ यू प्रक्षेपण यानसे भेजनेकी योजना है। रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ऐसे उपग्रहोंका समूह तैयार कर रही है, जिनके दर्पण सूर्यकी रोशनीको परावर्तित करके धरतीके चुने हुए हिस्सोंतक पहुंचा सकेंगे। कंपनीका लक्ष्य एक समयमें लगभग पांच किलोमीटर क्षेत्रमें जरूरतके मुताबिक रोशनी उपलब्ध कराना है। कंपनीके अनुसार इस रोशनीकी तीव्रता घटायी-बढ़ायी जा सकेगी और आवश्यकता नहीं होनेपर इसे बंद भी किया जा सकेगा। इस तकनीकका इस्तेमाल आपदा प्रभावित क्षेत्रोंमें रातके समय खोज और बचाव अभियान चलाने, दूरदराजके औद्योगिक इलाकोंमें कामकाज जारी रखने तथा महत्वपूर्ण स्थलोंको रोशन करनेके लिए किया जा सकता है। कंपनीका दावा है कि इससे सौर ऊर्जा संयंत्रोंमें बिजली उत्पादनकी अवधि बढ़ानेकी संभावनाएं भी खुल सकती हैं। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेसके साथ हुए समझौतेके तहत दो अलग-अलग प्रक्षेपण यानोंका इस्तेमाल किया जायगा। विक्रम-१यू में पहले चरणके अतिरिक्त बूस्टर लगाये गये हैं और इसकी क्षमता पहलेसे बेहतर बतायी गयी है। रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलने अपने बयानमें कहा कि अमेरिकामें पहलेसे तय अन्य प्रक्षेपण अभियानोंके साथ ये दोनों प्रक्षेपण उसे निर्धारित समयसीमामें काम करने और अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध करानेमें मदद करेंगे। स्काईरूटके मुख्य कार्यकारी अधिकारीने एक्सपर इस साझेदारीको लेकर उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि कंपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीके अनूठे इस्तेमालसे धरतीपर नयी संभावनाएं खोलनेके प्रयासमें रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलका साथ देनेके लिए उत्साहित है। कंपनीको जुलाईमें अमेरिकी संघीय संचार आयोगसे एक प्रोटोटाइप उपग्रह बनाने, उसे अंतरिक्षमें भेजने और संचालित करनेकी मंजूरी मिली थी। कंपनीके सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेन नोवाकके अनुसार अंतरिक्ष यानके संचालनके लिए भी लाइसेंस मिल चुका है। अंतरिक्षसे धरतीपर सूर्यकी रोशनी पहुंचानेका विचार नया नहीं है। वर्ष १९९३ में रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरोंने अंतरिक्षकी कक्षामें लगभग ६५ फुट चौड़ा दर्पण स्थापित कर धरतीपर सूर्यकी रोशनीकी एक किरण पहुंचायी थी। जनामया नामका यह प्रयोग सफल रहा था, लेकिन धनकी कमीके कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलकी योजनाको लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। कई पर्यावरण संघटनोंने एफसीसीसे प्रोटोटाइप उपग्रहको दी गयी मंजूरी रद करनेकी मांग की है। पर्यावरणविदोंकी चिन्ता है कि रातके समय अंतरिक्षसे आने वाली कृत्रिम रोशनी वन्यजीवोंके प्राकृतिक व्यवहार और जीवनचक्रको प्रभावित कर सकती है। इससे खगोलीय अध्ययनोंमें बाधा आने और मनुष्योंकी प्राकृतिक जैविक घड़ीपर असर पड़नेकी आशंका भी जतायी गयी है। -**आर.पी. सिंह, वाया ईमेल।**

सुप्रीम कोर्टके निष्पक्ष फैसले

लोकतंत्रकी मजबूतीका वास्तविक प्रमाण केवल चुनावोंका नियमित आयोजन, संसदमें बहुमत अथवा राजनीतिक दलोंकी लोकप्रियता नहीं है, बल्कि संविधानके सामने सत्ता, विपक्ष और सामान्य नागरिककी स्थिति समान हो। जब आरक्षण और चुनावी निष्पक्षता जैसे प्रश्न विमर्शके केन्द्रमें आते हैं, तब सुप्रीम कोर्टकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

❐ **ललित गर्ग**

न्यायपालिका वह संवैधानिक संस्था है, जिससे नागरिक यह अपेक्षा करता है कि वह राजनीतिक आग्रहों, सामाजिक दबावों और सत्ताके प्रभावसे मुक्त रहकर न्यायका मार्ग प्रशस्त करेगी। आज आरक्षणकी पात्रता और धर्मान्तरणसे जुड़े विवादोंसे लेकर निर्वाचन प्रक्रिया तथा न्यायालयकी गरिमातक, अनेक प्रश्न इसी अपेक्षाकी कसौटी बनकर सामने हैं। इन प्रश्नोंपर विचार करते समय आवश्यक है कि हम न किसी राजनीतिक पक्षके प्रचारक बनें, न किसी धार्मिक समुदायके प्रति पूर्वाग्रह रखें, बल्कि संविधानकी भावना और न्यायके व्यापक उद्देश्यको केन्द्रमें रखें। अनुसूचित जातियोंके लिए आरक्षण भारतीय संविधानकी उन ऐतिहासिक व्यवस्थाओंमें है, जिनका उद्देश्य सदियोंसे चले आ रहे सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता और भेदभावके दुष्परिणामोंको दूर करना है। यह केवल रोजगार अथवा शिक्षामें कुछ अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करानेकी व्यवस्था नहीं, बल्कि उस सामाजिक अन्यायके विरुद्ध संवैधानिक हस्तक्षेप है, जिसने बड़ी आबादीको लम्बे समयतक समान अवसरोंसे वंचित रखा। इसलिए आरक्षण और धर्मान्तरणके संबंधमें होने वाली बहसको भावनाओं, धार्मिक आग्रहों अथवा राजनीतिक आरोपोंके बजाय संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक वास्तविकताओंके आधारपर समझना चाहिए।

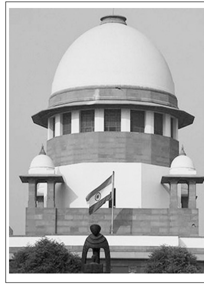

आज देशको ऐसी न्यायिक सक्रियताकी आवश्यकता है, जो अन्यायके सामने निर्भीक हो, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्रके प्रति सजग भी रहे, नागरिकोंके अधिकारोंकी रक्षा करे, लेकिन राजनीतिक आग्रहोंसे अप्रभावित रहे, जो सवैधानिक संस्थाओंकी गरिमा बनाये रखे, लेकिन उनकी जवाबदेहीको भी सुनिश्चित करे। न्याय वह विश्वास है, जो नागरिकको यह भरोसा देता है कि उसकी आवाज सुनी जायगी, उसके अधिकारोंका निष्पक्ष परीक्षण होगा और शक्तिशाली व्यक्ति या संस्था भी कानूनसे ऊपर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्टकी शक्ति तभी सिद्ध होगी, जब उसका प्रत्येक निर्णय राजनीतिक शोरसे ऊपर विवेक और विधिक निष्पक्षताका उदाहरण बने।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के व्यक्तियों द्वारा धर्मान्तरण करनेपर उन्हें आरक्षणका लाभ नहीं मिलेगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे उच्च न्यायालयमें चुनौती देना और अपने राज्यमें इस प्रकारकी सुविधा जारी रखना कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनानेके बाद भी आरक्षणका लाभ मिलता रहे, वास्तवमें सनातन संस्कृतिके आरक्षित वर्गोंके हितोंको कमजोर करने वाला और धर्मान्तरणको परोक्ष रूपसे बढ़ावा देने वाला कदम था। यह विडंबना ही है कि एक तरफ कुछ संघटन यह दावा करते हैं कि उनके यहां जातिगत भेदभावका अस्तित्व नहीं है, वहीं दूसरी ओर वे एससी और ओबीसी वर्गके लोगोंको अपने पंथमें आनेके बाद भी आरक्षणका लाभ मिलनेकी पुरजोर वकालत करते हैं। इस प्रकारके दोहरे लाभ और प्रलोभनोंके कारण न केवल धर्मान्तरणकी प्रवृत्तिको बल मिलता है, बल्कि हिन्दू समाजको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि धर्मान्तरित लोग आरक्षणके साथ-साथ अल्पसंख्यक दर्जेके लाभोंका भी अनुचित दोहन करने लगते हैं। हालांकि विभिन्न राज्य सरकारें छल-कपटसे होने वाले धर्मान्तरणके विरुद्ध कड़े कानून बना रही हैं, फिर भी यह समस्या थमनेका नाम नहीं ले रही है, जिसका प्रमुख कारण धार्मिक स्वतंत्रताके नामपर हो रहा इसका दुरुपयोग है। अब समय आ गया है कि इस गम्भीर विषयपर केन्द्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय मिलकर ठोस और प्रभावी कदम उठायें, ताकि इस दुरुपयोगको रोका जा सके।

इसी व्यापक संवैधानिक परिप्रेक्ष्यमें सर्वोच्च न्यायालयका चुनावी प्रक्रियासे जुड़े विवादोंपर हस्तक्षेप भी उल्लेखनीय है। १२ अक्तूबर २०२६ को राहुल गांधी सहित विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के नेताओंने मतदाता सूचियोंके विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सर्वोच्च न्यायालयकी ओर मार्च किया, इसपर सुप्रीम कोर्टका सख्त रवैया भी सराहनीय है। भले ही विपक्ष ने मतदाता सूचीमें कथित अनियमितताओं, मतदाताओंके नाम हटाये जाने और निर्वाचन प्रक्रियाकी पारदर्शितापर सवाल उठाये, इन आरोपोंकी सत्यताका निर्धारण न्यायिक परीक्षण और संबंधित अभिलेखोंके आधारपर होना चाहिए, लोकतंत्रमें चुनाव केवल सरकार चुननेका माध्यम नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिकको अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त करनेका संवैधानिक अवसर है। इसलिए मतदाता सूचीकी शुद्धता और विश्वसनीयता किसी एक दलका नहीं, पूरे लोकतंत्रका प्रश्न है, लेकिन सुप्रीम कोर्टतक मार्च करना एक गलत परम्पराका सूत्रपात है।

१५ अक्तूबरको सर्वोच्च न्यायालयने विपक्षी नेताओंकी याचिकापर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशीसे जवाब मांगा। इससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाके निर्णय भी न्यायिक समीक्षाके दायरेमें आ सकते हैं। आयोगकी स्वतंत्रताका अर्थ यह नहीं कि उसके प्रत्येक निर्णयको प्रश्नोंसे परे मान लिया जाय। इसी प्रकार किसी निर्णयसे असहमति अपने आपमें यह प्रमाणित नहीं करती कि आयोगने अनुचित कार्य किया है। न्यायिक समीक्षाका उद्देश्य आरोपों और तथ्योंके बीच अंतर स्पष्ट करना, निर्णय प्रक्रियाकी वैधानिकता जांचना तथा नागरिकोंके अधिकारोंकी रक्षा करना है। इसी घटनाक्रममें सर्वोच्च न्यायालयने १२ अक्तूबरके मार्चको लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य संबंधित नेताओंसे भी जवाब मांगा। न्यायालयकी चिन्ता यह थी कि राजनीतिक प्रदर्शनके माध्यमसे न्यायपालिकापर दबाव बनानेकी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस प्रसंगका मूल्यांकन करते समय यह समझना आवश्यक है कि शांतिपूर्ण विरोध, राजनीतिक असहमति और न्यायालयकी गरिमा-तीनों लोकतंत्रके महत्वपूर्ण पक्ष हैं। विपक्षको सरकार और निर्वाचन आयोगसे प्रश्न पूछनेका अधिकार है, लेकिन न्यायिक संस्थाओंकी स्वतंत्रताका सम्मान करना भी उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। दूसरी ओर, न्यायालयकी गरिमाकी रक्षाके नामपर वैध आलोचना और शांतिपूर्ण असहमतिके अधिकारको सीमित नहीं किया जाना चाहिए। नोटिस जारी होना किसीको दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि उसका पक्ष जाननेकी न्यायिक प्रक्रियाका हिस्सा है।

यही वह बिन्दु है जहां न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयमके बीच संतुलनका प्रश्न सामने आता है। यदि न्यायपालिका सामाजिक अन्याय, प्रशासनिक मनमानी अथवा संवैधानिक अधिकारोंके उल्लंघनपर मौन रहे तो आम नागरिकका न्याय व्यवस्थासे विश्वास कमजोर हो सकता है। लेकिन यदि न्यायपालिका प्रत्येक राजनीतिक विवादमें स्वयंको निर्णायक नीति-निर्माताकी भूमिकामें रखे तो शक्तियोंके पृथक्करणका सिद्धांत प्रभावित हो सकता है। लोकतंत्रकी संस्थाएं एक-दूसरेकी प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक-दूसरेको संवैधानिक मर्यादाओंमें रखने वाली व्यवस्थाएं हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कानून तथा उनका क्रियान्वयन संविधानकी सीमाओंके भीतर हों। इन तीनोंके बीच स्वस्थ संतुलन ही लोकतांत्रिक स्थिरताकी आधारशिला है। सर्वोच्च न्यायालयकी प्रतिष्ठा उसके आदेशोंकी कठोरतासे अधिक उसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और तर्कपूर्ण निर्णयोंसे निर्मित होती है। आज देशको ऐसी न्यायिक सक्रियताकी आवश्यकता है, जो अन्यायके सामने निर्भीक हो, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्रके प्रति सजग भी रहे, जो नागरिकोंके अधिकारोंकी रक्षा करे, लेकिन राजनीतिक आग्रहोंसे अप्रभावित रहे, जो संवैधानिक संस्थाओंकी गरिमा बनाये रखे, लेकिन उनकी जवाबदेहीको भी सुनिश्चित करे। न्याय वह विश्वास है, जो नागरिकको यह भरोसा देता है कि उसकी आवाज सुनी जायगी, उसके अधिकारोंका निष्पक्ष परीक्षण होगा और शक्तिशाली व्यक्ति या संस्था भी कानूनसे ऊपर नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालयकी वास्तविक शक्ति तभी सिद्ध होगी, जब उसका प्रत्येक निर्णय राजनीतिक शोरसे ऊपर उठकर संवैधानिक विवेक, सामाजिक संवेदनशीलता और विधिक निष्पक्षताका उदाहरण बने।

शक्ति प्रदान करतीं मां जगतजननी

शारदीय नवरात्रमें मां भगवतीकी उपासनाके साथ बेटियोंमें आत्मविश्वास, सजगता और संतुलित प्रगतिशील सोच विकसित करना जरूरी है। यह आदिशक्तिके प्रेरणादायी गुणोंसे जोड़नेका मौका भी है।

❐ **डा. मोनिका शर्मा**

शारदीय नवरात्रमें हर परिवार अपनी बेटीमें मानसिक मजबूती, वैचारिक चेतना, आत्मसम्मानका भाव और सही-गलतकी समझ पैदा करे। आधुनिकता और प्रगतिशीलताका अर्थ विवेकपूर्ण सोच तथा सामाजिक जिम्मेदारियोंके प्रति सजग रहना है। हमारे घरोंमें बेटियोंको शक्तिस्वरूपा मानकर पूजा जाता है। मां आदिशक्तिका ही रूप माना जाता है। देवीका मान दिया जाता है। ईश्वरीय आस्थाका यूं मानवीय धरातलपर जुड़ा होना सुखद है, परन्तु बेटियोंको मां शक्तिसे जुड़े प्रेरणादायी पहलुओंसे मिलवाना भी जरूरी है। मौजूदा दौरमें मातृशक्तिके पूजन-अर्चनकी सार्थकता यह भी है कि मांके पौराणिक चरित्रसे बेटियां प्रेरणा लें। छोटी उम्रसे घरकी लाड़लियोंमें मनको सशक्त और मस्तिष्कको सार्थक दिशा देनेकी समझ पोसना जरूरी है। यह कटु सच है कि बर्बर आपराधिक घटनाओंसे लेकर रिश्ते-नातोंके टूटनकी नकारात्मक योजनाओंतक बेटियोंकी भागीदारी भी दिखने लगी है। यह दिशाहीनता पूरे समाजको चकित करने वाली है। हर परिवारको चिंतित करती है। शिक्षित, ऊर्जावान युवतियां भी कहीं स्वयं दिशाहीन हो रही हैं तो कहीं दूसरोंके बहकावेमें आकर नकारात्मक मार्ग पकड़ रही हैं। मौसमी बदलावका यह समय बेटियोंकी अपनी चेतनाको जगाने का भी है। आस्था मनको साधनेका काम है तो क्यों न बेटियोंको समग्र संसारकी पालक मां भगवतीके गुणोंसे मिलवायें। शक्तिसम्पन्न होते हुए भी विनाश नहीं सृजनका मार्ग चुनने वाली माता आदिशक्तिसे जुड़ी हर बात मन, जीवन, परिवार या समग्र परिवेश आत्मशक्तिसे बलपर सब कुछ सहेजना ही सिखाती है।

आदिशक्तिके हर रूपकी गाथा और गुण भावनात्मक धरातलपर सशक्त बननेका पाठ पढ़ाते हैं। आस्थाके भाव संग अंतर्मनकी शक्ति साधनेके उत्सवीय दिन हर बहकावेसे बचनेका संदेश देते हैं। आये दिन होने वाले वाकये बताते हैं कि बेटियोंको हर तरहके भ्रमजालसे बचनेकी सीख देना आवश्यक है। ऐसेमें किसी भी तरहके शोषणके जालमें न फंसनेकी सजगताका पाठ पूरा परिवार पढ़ाये। मनकी चेतना जगाने वाले इन दिनोंमें आदिशक्तिकी उपासना करनेके साथ ही अपनी बेटियोंसे संवाद भी करें। सामयिक घटनाओंपर बात हो। देशकी बेटियोंकी उपलब्धियोंकी चर्चा की जाये। सार्थक संवादके माध्यमसे बेटियोंको मां दुर्गाके उस रूपसे मिलवायें जो भारतीय स्त्रीके चेतनामय स्वरूपका प्रतीक है। जो असहाय नहीं, बल्कि मातृशक्तिके रूपमें पोषककी भूमिकामें पूजनीय है। स्वजनोंको यह समझना होगा कि भावनात्मक रूपसे मजबूत बनकर ही घरकी लाड़लियां मानमर्दन और शोषणके खेलको समय रहते पहचान सकती हैं। बुराइयोंका प्रतिकार कर सकती हैं। अपने विरुद्ध होने वाले हर अत्याचारको लेकर आवाज बुलंद करनेका बल जुटा सकती हैं। बचपनसे ही अन्याय और अनीतिका प्रतिकार करनेकी सजग सोच पाती हैं। हर तरहकी दिशाहीनतासे बचकर अपने सम्मान और स्वाभिमानकी रक्षक बननेके लिए मनकी मजबूती सबसे अहम है।

मां दुर्गाका हर रूप भारतीय स्त्रीके दमकते चेहरेका प्रतीक है। मातृशक्तिके रूपमें पोषक और चेतनामयी रूपमें सजगता और जागरूकताका प्रतिबिम्ब। शक्ति-सम्पन्न होनेके बावजूद बिखरने-उजाड़नेका भाव दूर-दूरतक नहीं। समग्र सृष्टिका विनाश करनेकी शक्ति रखने वाली भगवतीका एक पालकके रूपमें ममतामय स्वरूप ही हमारे मनमें बसा है। दुष्टोंके संहारके लिए कालीका रूप धरने वाली देवी दुर्गाने परिस्थितिके अनुसार भी कई रूप धरे हैं। जरूरी है कि बेटियां मां भगवतीसे प्रेरणा लेकर अपनी ऊर्जाको सही दिशामें लगाना सीखें। मौजूदा दौरमें प्रगतिशील होनेके नामपर स्वयं अपनी ही हानि करने वाली गतिविधियोंमें शामिल होनेका भी चलन है। इसीलिए जागरूक और सजग रहना आवश्यक है। आधुनिक होना मानवीय अनुभूतियोंसे दूर होना नहीं होता। याद रहे कि ज्ञान और विवेककी अधिष्ठात्री मां सरस्वती भी आदिशक्तिका ही एक रूप हैं। चेतना-सम्पन्न हो अपने दमपर जीनेका भाव ही प्रगतिशील होना है। हर बदलावमें बेहतरी ढूंढ़नेकी सोच ही आधुनिक होना है। बेटियोंको समझना होगा कि सबल व्यक्तित्वके लिए समझकी पक्की बुनियाद आवश्यक है। परिवर्तनके सकारात्मक पक्षोंको अपनाना जीवनमें संतुलन बनाये रखता है। ऐसी सधी सोचसे निडर होकर चुनौतियोंका सामना करनेकी शक्ति मिलती है। पूरा परिवेश ही जीवंत एवं चेतनामयी आभासे दमकता सा। मां भगवतीकी उपासनाके इन दिनोंमें बेटियोंको समझायें कि जीवनमें मौसम बदलते रहते हैं। नयापन भी आता है। पारिवारिक रिश्ते हों या व्यक्तिगत जीवन, इस नयेपनको पुराना आधार ही थामता है। संतुलित समझका यह मेल प्रगतिशील होना है।

शारदीय नवरात्र, मां दुर्गाकी आराधना और मौसमके नयेपनके उल्लासका उत्सव है। नव संवत्सरकी शुरुआत और मौसमी बदलावके इस पड़ावपर धरतीका हर हिस्सा चेतनामयी लगता है। शक्तिको साधनेका यह उत्सव हर किसीके मन जीवनको नयी ऊर्जा, नया उत्साह देता है। मांकी आराधना करते हुए हर परिवार अपनी बेटियोंके लिए वैचारिक चेतनाकी आशीष मांगे। लाड़लियोंका सजग व्यक्तित्व गढ़नेकी सोचे। उनकी सोच और समझके दायरेको विस्तार दे। जहां भी मौका मिले उनमें सार्थक और सकारात्मक पहल करनेका भाव भरें। घर-दफ्तरकी जिम्मेदारियोंको पूरा करनेके साथ ही अपने सामाजिक दायित्वोंके प्रति भी सजग रहना सिखायें। यह वैचारिक सजगता बेटियोंके व्यक्तित्वको पूर्णता देते हुए जीवनसे हर भयको दूर करने वाली तो है ही, नयी शक्तिका संचार करने वाली भी है। वैचारिक चेतनाके अभावमें व्यावहारिक धरातलपर बेटियां सशक्त नहीं बन सकतीं। तकनीकसे घिरे आजके जीवनमें बहुत-सी घटनाएं बताती हैं कि मनकी सजगताके अभावमें बेटियां भी सही फैसले लेनेमें चूक रही हैं। सम्बन्धोंके निर्वहनमें पीछे रह जाती हैं। आधुनिक होनेके भ्रममें अनगिनत उलझनोंमें उलझती जाती हैं। शक्तिस्वरूपा मांके पूजन-वंदनका यह अवसर वैचारिक शक्तिके संतुलनको साधनेका पर्व भी है। बेटियोंको न तो खुदको किसीसे कम आंकना है और न अहंकारके भावसे भर जाना है। जिन्दगीके हर मोर्चेपर सशक्त भागीदारी निभानेके लिए बेटियोंको वैचारिक मोर्चेपर भी सजग रहना ही होगा।

जीवनका आधार

❐ **जग्गी वासुदेव**

जीवनके बहुतसे पहलूमें जन्म, बचपन,जवानी और बुढ़ापा है। प्रेम, कोमलता, मिठास और कड़वाहट भी है। सफलताकी खुशी है, कुछ पानेका संतोष है, दर्द भी है और आनन्द भी। यदि आपने अपने मनको बोधके एक ठीक स्तरपर रखा है तो ये सब बातें आपकी समझमें आ सकती हैं। परन्तु जीवनको समझाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मृत्यु, वह किसी भी मनकी पकड़के बाहर है चाहे आप अपने आपको कितना ही बुद्धिमान, होशियार या बड़ा बुद्धिजीवी मानते हों। क्योंकि हम मरणशील हैं, मरने वाले हैं, इसीलिए जीवन उस तरहसे चल रहा है जैसे वह चल रहा है। यदि हम मरने वाले नहीं होते तो न कोई बचपन होता, न जवानी और न बुढ़ापा। तब हम ये सवाल भी न उठा पाते कि जन्म क्या होता है। मृत्यु जीवनका आधार है। यदि आप मृत्युको नहीं समझते तो अभी जीवनको नहीं जान सकेंगे, न ही उसे संभाल पायंगे क्योंकि जीवन और मृत्यु सांस लेने और छोड़नेकी तरह हैं। वे बिना अलग हुए साथ-साथ रहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप मृत्युका सामना करते हैं या तो खुदकी या फिर किसी ऐसे व्यक्तिकी जो आपको प्रिय है और जिसके बिना जीनेकी बात आप नहीं सोच सकते। जब मृत्यु आ रही हो या हो गयी हो, तब ही अधिकतर लोगोंके मनमें ये सवाल आता है, ये सब क्या है और इसके बाद क्या होगा। जबतक केवल जीवन ही सत्य लगता है तबतक आपको यह विश्वास नहीं होता कि ये बस ऐसे ही खत्म होने वाला है। जब मृत्यु पास आ जाती है, तभी मन ये सोचना शुरू करता है कि कुछ और भी है, जो इससे ज्यादा है। परन्तु मन चाहे कितना भी सोच ले, ये वास्तवमें जानता कुछ नहीं है क्योंकि मन सिर्फ उसी डेटाके आधारपर काम करता है जो वो पहलेसे इकट्ठा कर चुका है। मनका मृत्युके साथ कोई वास्ता नहीं पड़ा है तो वह मृत्युके बारेमें नहीं जानता, क्योंकि इसके पास उसके बारेमें कोई आधारभूत जानकारी नहीं है, सिर्फ कुछ गप्पबाजी है। आपने ऐसी गप्पें सुनी होंगी कि कैसे जब आप मर जायंगे तो आप जाकर भगवानकी गोदमें बैठेंगे। यदि ऐसा है तो आज ही मर जाना चाहिए। आपने स्वर्ग और नरकके बारेमें सुना होगा। परन्तु कोई पक्की जानकारी नहीं है। ये सोचनेमें समय बर्बाद मत कीजिए कि मृत्युके बाद क्या होता है, क्योंकि वह आपके मनकी सीमाके बाहर की बात है। जाननेका एक ही तरीका है और वह प्रज्ञाकी मददसे है, जैसा हम इसे भारतीय भाषाओंमें कहते हैं यानी कि जागरूकता।

बहुधर्मी भारतमें साझा संस्कृतिकी खूबसूरती

❐ **विश्वनाथ सचदेव**

पश्चिम बंगालकी राजधानी कोलकाताके मुस्लिमबहुल क्षेत्रका नाम है अलीमुद्दीन स्ट्रीट। मुस्लिमबहुल इलाकेमें सालोंसे दुर्गापूजा की तैयारियां इसी जोश-खरोशके साथ होती थीं। फिर मनमुटावकी कुछ घटनाएं हुईं और पूजाका यह क्रम टूट गया था। पांच साल पहले फिर शुरू हो गया और अब यह जोश साल-दर-साल बढ़ता ही दिख रहा है। विशेषता यह भी है कि तैयारियोंमें आगे बढ़कर हाथ बंटाने वालोंमें ज्यादातर युवा मुसलमान हैं। यहां पूजा पूरे विधि-विधानसे होती है और हिंदू-मुसलमान मिलकर करते हैं! साझा संस्कृतिका यह दृश्य कोलकाताके इसी मोहल्लेमें नहीं दिख रहा। आस-पासके इलाकोंमें न जाने कबसे यह परम्परा चली आ रही है। दुर्गापूजाके अवसरपर पूरे बंगालमें ऐसे दृश्य दिख जाते हैं। हल्दियामें मां दुर्गाकी प्रतिमा बनाने वालोंमें मुस्लिम कारीगर सबसे आगे हैं और यह काम पूरी श्रद्धाके साथ होता है। हिन्दू पड़ोसियोंके साथ मिल-जुलकर अल्पना सजाती मुस्लिम महिलाएं दिख जाना तो एक आम बात है। मुर्शिदाबादमें तो मां दुर्गाकी पूजाकी शुरुआत ही मुस्लिम परिवारके चढ़ावेसे होती है।

अस्सी प्रतिशत और बीस प्रतिशतकी राजनीतिके माहौलमें, जहां पहने हुए कपड़ोंके आधारपर व्यक्तिको पहचाननेकी बातें की जाती हैं, वहां भाईचारेके इस तरहके दृश्य सुख देने वाले हैं। देशके अलग-अलग हिस्सोंमें इस तरहके दृश्य दिख जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। हां, कम जरूर दिखते हैं अब ऐसे दृश्य, परन्तु यह कम भी बड़ा आश्वासन देने वाला है। बहुधर्मी देश है हमारा। शायद ही दुनियाका कोई और देश होगा, जहां सभी धर्मोंको मानने वाले लोग सदियोंसे एक साथ रहते आये हों और इस साथ-साथका मतलब कोलकाताका मुस्लिमबहुल इलाका, अलीमुद्दीन स्ट्रीट, समझा रहा है। लेकिन हकीकत यह भी है कि धार्मिक भाईचारेकी यह गंगा-जमुनी परम्परा अक्सर टूटती भी दिख जाती है। कष्ट होता है यह देखकर। सारे देशमें मनाया जाता है दुर्गापूजाका यह त्योहार। पूरे दस दिनतक गरबा कार्यक्रमोंकी धूम रहती है। कोलकाताकी अलीमुद्दीन स्ट्रीट जैसे दृश्य देशके दूसरे महानगर, मुंबईमें भी दिख जाते हैं। सभी धर्मोंके मानने वालोंका गरबामें हिस्सा लेना एक सामान्य बात थी। पचास साल पहले जब मैं मुंबई आया था तो पहली बार मैंने गरबाके एक शानदार कार्यक्रममें हिस्सा लिया था। आयोजन देखने वालोंमें मैंने मुसलमानोंको भी देखा था। किसीके आने-जानेपर प्रतिबंध नहीं था। परन्तु पिछले एक अर्सेमें इस परम्परामें भी बदलाव आया है। खुलेआम कहा जा रहा है कि गैर-हिन्दुओंको इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। देशके एक वरिष्ठ राजनेताने तो स्पष्ट घोषणा कर दी है कि यदि संप्रदाय विशेषके लोगोंको गरबामें भाग लेना है तो उन्हें घर-वापसी करनी होगी। ऐसे सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रममें असामाजिक तत्वोंकी घुसपैठको रोकनेकी बात तो समझ आती है, परन्तु यह कहना कहांतक उचित है कि गैर-हिन्दू ही असामाजिक तत्व हैं और फिर इस बातका क्या तुक है कि घर-वापसी करने वाला असामाजिक तत्व नहीं रहेगा। आवश्यकता इस बीमार सोचको बदलनेकी है कि धर्मके आधारपर व्यक्तिकी नीयतको समझा जा सकता है।

धर्मके आधारपर व्यक्तिको अच्छा-बुरा इंसान मानने-बनानेकी मानसिकताको बदलनेकी आवश्यकता है। बरसों पहले एक फिल्म देखी थी, जिसमें एक बच्चेको गाना सुनाकर यह बताया जा रहा था कि उसकी सही पहचान उसका इंसान होना ही है-तू हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा। इंसानकी औलाद है, इंसान बनेगा। यह इंसान होना ही व्यक्तिकी सच्ची और पहली पहचान है। कोई भी व्यक्ति हिन्दू या मुसलमान होनेसे पहले कुछ तो था। इस कुछको समझनेकी आवश्यकता है। यही कुछ व्यक्तिके इंसान होनेकी पहचान है। आज आवश्यकता इस पहचानको बनाये रखनेकी है-मंदिर-मस्जिद तो बादके हैं/हम उससे पहले भी तो थे/हम उससे पहले जो भी थे/उस सचको जिन्दा रखना है।

आज इस 'सच' को समझनेकी आवश्यकता है-यह सच हमें बताता है कि हमारा हिन्दू या मुसलमान होना अथवा सिख या ईसाई होना, एक संयोग मात्र है। मेरा जन्म जिस परिवारमें हुआ, वह मेरे धर्मका आधार बन जाता है, परन्तु व्यक्तिके इंसान होने और इंसान बने रहनेकी कोशिश करनी पड़ती है। जब कोई मुसलमान पूरी निष्ठा और आस्थाके साथ मां दुर्गाकी मूर्ति बनाता है तो वह अपने इंसान होनेका प्रमाण दे रहा होता है और यही बात उस हिंदू मांपर भी लागू होती है, जो अपने बेटेको ताजियेके जुलूसमें ले जाकर उसकी बेहतरीकी दुआ करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके सरसंघचालक मोहन भागवतने कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्कके एक सम्मेलनमें कहा था कि जो हिन्दू यह मानता है कि मुसलमानोंको भारतसे बाहर निकाल देना चाहिए, वह हिन्दू नहीं रह सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि हिन्दू शब्दको एक विशेष भाषा, पूजा-पद्धति या जीवनशैलीतक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें इंसानोंकी तमाम विविधताएं शामिल हैं। इस विविधताका सम्मान होना चाहिए। यह विविधता इंसानकी ताकत है। मोहन भागवतकी किसी बातसे आप असहमत हो सकते हैं, परन्तु उनकी यह बात सोचनेके लिए बाध्य करने वाली है कि भारतमें जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिन्दू है। इस हिन्दूको भारतीय कहकर हम अनावश्यक विवादोंसे बच सकते हैं। हमें इस बातपर गर्व करना चाहिए कि हमारा भारत बहुधर्मी है।